



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | LAKHISARAI
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

Govind Bhavishya Bharti Shiksha Seva Sadan

Ward No. - 9

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 06-09-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक : 12-08-2022 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय Govind Bhavishya Bharti Shiksha Seva Sadan, Ward No. - 9, West Karyanand Nagar, 8113 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 12-08-2022 से 12-8-2025 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा त उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक : अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति : जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय निष्कासित किया जाएगा ।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा ।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा ।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे ।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा ।

2/12/21

विश्वसामाज्य
१००
विद्या शिक्षा प्रदायिका, LAKHISAR,
विद्या विभाग, बिहार सरकार

19. अनुसूचक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
18. यदि सोसाइटी के निर्देशन के तहत कार्य की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
- निर्वाह अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
- सरकार के स्तर से प्रतीकृत की शर्तों के तहत कार्य के पूर्ण करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संभालने से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर शिक्षक, प्राथमिक शिक्षा / विद्या शिक्षा प्रदायिका के द्वारा समय-समय पर "मार्ग" दिए जाएंगे, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और गारंटी प्राप्त किया जाए।
16. आप के विद्यालय को आवंटित प्रतीकृत कोड संख्या [2271368202196100640, 2021] है। इस कापालन से किसी प्रकार का पताचार करने में इस कोड को अधिक संख्या विवरणों की एक प्रति प्रतिपत्र विद्या शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।
15. संख्या का अंश और उसका प्रतीकृत कोड एकाउंट के द्वारा किया जाएगा और विधिवत निर्देशों के आदेशों में उपलब्ध संख्या विवरणों द्वारा की जाएगी। प्रत्येक विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्ति के साथ अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ के लिए संभालित नहीं होगा।
14. विद्यालय के माध्यम से संभालित होगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1960 (1960 का 21) के अंतर्गत निर्वाचित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्यात समय में नामांकन के तहत गठित किए गए विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएं अथवा भूदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
12. विद्यालय के नाम से संभालित नहीं होगा।
11. कोई भी उपलब्धित वार्ड विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संभालित नहीं होगा।

151

- Board etc., Cricket (Bat - Ball), Badminton, Carom, Ludo, Chess, Volley - Ball, Bhalla, Rope etc., Y, 138, Newspaper Magazin
- (X) शिक्षण अधिनियम सामग्री/ खेल-कूद उपकरण/ गणितकाल - Mathematical Instrument (Cone, Square, Rectangle, Sphere, Prism, Draw)
- (IX) वायुमंडल प्रदूषण :-
- (VIII) मर्यादित भोजन के लिए रसोई घर :- 1
- (VII) पंचाल की सुविधा :- 8
- (VI) बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय :- Indian, Boys :- 13, Girls 8
- (V) प्रशासनिक-सह कार्यालय सह-भवन कक्ष :- 3
- (IV) वर्ग कक्षा की कुल संख्या :- 38
- (III) खेल के मैदान कक्ष :- Electricity, Playground, Computer, Labratory, Medical etc.
- (II) कुल निर्मित क्षेत्र :- 10521m² हिंसाल
- (I) विद्यालय परिसर कक्षफल :- 10521m² हिंसाल

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उल्लिखित मानकों एवं मानदंडों को धरकर रखेंगे। विद्यालय के अंतिम निर्देशों के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नतः